महत्वपूर्ण

संख्या:-2427/78-1-2020-05आई0टी0/2020 टीसी-3

प्रेषक,

बराती लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्टानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:-1977/श्रम सुधार/नीति-2020, दिनांक 09-12-2020 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, श्रम अनुभाग-03 के पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2018 एवं सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश (अधिसूचना) दिनांक 29 जनवरी, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 29-01-2018 व 20-02-2018 की अधिसूचना पर्याप्त है। कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

सं०-2427/78-1, 2020

प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,

अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
श्रम अनुभाग-3,
बापू भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या 1977 संख्या/श्रम सुधार/नीति-2020 दिनांक 09-12-2020

विषयः- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति- 2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के अर्द्धशा0 पत्र सं0-1650/36-3-2020-45 (सा0)/2016 दि0 07 दिसम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के प्रस्तर-5.7 कौशल विकास एवं अन्य सहायता में श्रम विभाग से सम्बन्धित व्यवस्था के क्रम में श्रम विभाग द्वारा निर्गत पूर्व अधिसूचनाओं में संशोधन की आवश्यकता का परीक्षण कर औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के प्रस्तर-5.7 कौशल विकास एवं अन्य सहायता के अन्तर्गत उल्लिखित 04 बिन्दुओं में केवल बिन्दु सं0 (iv) ही श्रम आयुक्त संगठन से सम्बन्धित है, शेष बिन्दु श्रम आयुक्त संगठन से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्नगत नीति के बिन्दु सं0 (iv) में उल्लेख है कि " 24X7 परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति प्रदान की जायेगी, " के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत धारा-66 में संशोधन सम्बन्धी अधिसूचना दि0 29 जनवरी, 2018 एवं अधिसूचना दि0 20 फरवरी, 2018 द्वारा इलेक्ट्रानिक विर्निमाण के कारखानों में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षा के आवश्यक प्रतिबन्धों सहित तीनों पालियों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत कोई अन्य संशोधन किया जाना समीचीन नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

तत्काल
श्री अ0 वि0
10/12/2020

भवदीय,

(डी0के0 सिंह)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-3
संख्या- 801/36-3-2018-01(उ0प्र0)/99
लखनऊ, दिनांक 20 फरवरी, 2018

अधिसूचना

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या-63 सन् 1948) की धारा-66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर, इलेक्ट्रानिक विनिर्माण, स्टार्ट-अप तथा इन्क्यूबेटर प्रकृति के कारखानों को, लोक हित में, महिला कर्मकारों, को सायं 7 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे के बीच के घण्टों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजन को प्राधिकृत करते हैः-

1- किसी महिला कर्मकार को उसकी लिखित सहमति देने पर सायं 7.00 बजे और प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखानों में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

2- किसी महिला कर्मकार से किसी भी दिन 8 घण्टे से अधिक और किसी सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

3- यदि किसी महिला कर्मकार को सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच किसी समय कार्य करने के लिए बुलाया जाए, तो कारखाने का अधिष्ठाता उसके निवास स्थान से कारखाने तक और कारखाने से वापस ले जाने के लिए अपने व्यय पर उसकी सुरक्षित परिवहन का आवश्यक प्रबन्ध करेगा।

4- किसी महिला कर्मकार को सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य में उसके कार्य करने से इन्कार करने के आधार पर नियोजन से नहीं हटाया जायेगा।

5- अधिष्ठाता ऐसे समस्त कर्मकारों के लिए समुचित कैंटीन सुविधा उपलब्ध करायेगा।

6- किसी महिला कर्मकार को सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कार्य करने के लिए बुलाने के पूर्व अधिष्ठाता उपरोक्त शर्तों के पालन को सुनिश्चित करते हुए वचनबद्धता के माध्यम से प्रस्तावित प्रबंध की सूचना स्थानीय निरीक्षक को देगा।

7- कोई महिला कर्मकार अपनी सहमति के बिना कार्य करने के लिए बाध्य नही होगी।

8- अधिष्ठाता द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने के परिणाम स्वरूप यथा पूर्वोक्त अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
अपर मुख्य सचिव।

Eviksup-2018 U.O.

संख्या– 301 /36–03–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 20, फरवरी 2018 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–4 (खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियां श्रम अनुभाग–3 बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ को एवं 250 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर पेटी संख्या–220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर।

3– निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश कानपुर।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

क्रम-संख्या–36

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 जनवरी, 2018

माघ 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 202/79-वि-1–18-1(क)-08-2017

लखनऊ, 29 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 10 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड) में,–

(एक) उप–खण्ड (एक) में, शब्द "दस या अधिक" के स्थान पर शब्द "बीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।

(दो) उप–खण्ड (दो) मे, शब्द "बीस या अधिक" के स्थान पर शब्द "चालीस या अधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 64 में उपधारा (4) मे, खण्ड (चार) मे, शब्द "पचास" के स्थान पर शब्द "एक सौ" रख दिये जायेंगे।

धारा 65 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 65 मे, उपधारा (3) में, खण्ड (चार) मे, शब्द "पचहत्तर" के स्थान पर शब्द "एक सौ पन्द्रह" रख दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात:–

"परन्तु राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के संबंध मे, इस खण्ड में अधिकथित सीमाओ में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है और ऐसे फेरफार से साय 7 बजे और अगले दिन प्रातः 6 बजे के बीच के घंटों में किसी स्त्री को नियोजन के लिये यह उल्लिखित करते हुये प्राधिकृत किया जा सकता है कि स्त्री की सुरक्षा एवं सुविधाओ के लिए आवश्यक उपबंध किये जायं।"

———

उद्देश्य और कारण

कारखानों मे नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, कार्य के घण्टे, अतिकाल, अवकाश तथा अन्य पहलुओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 अधिनियमित किया गया है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामी प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण के कारण अतिकाल से संबंधित उपबंधों को शिथिल करने, रात्रि मे महिलाओं को नियोजित करने तथा लघु औद्योगिक ईकाइयो को अधिनियम के आच्छादन से मुक्त करने की माँग बढ़ती रही है। अतः नियोक्ता संघो तथा व्यापार संघो से सम्यक विचार–विमर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि अतिकाल के घण्टे बढ़ाये जाने तथा कतिपय शर्तों के अधीन रात्रि में महिला कर्मकारो के नियोजन की अनुज्ञा देने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय।

तदनुसार कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 202(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-08-2017

Dated Lucknow, January 29, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Karkhana (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 10, 2018.

THE FACTORIES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U. P. ACT NO. 13 OF 2018)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Factories (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

Amendment of section 2 of Act no. 63 of 1948

2. In section 2 of the Factories Act, 1948 as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (m),-

(i) in sub-clause (i), *for* the words "ten or more", the words "twenty or more" shall be *substituted*;

(ii) in sub-clause (ii), *for* the words "twenty or more", the words "forty or more" shall be *substituted*.

Amendment of section 64

3. In section 64 of the principal Act, in sub-section (4), in clause (iv) *for* the word "fifty", the words "one hundred" shall be *substituted*.

Amendment of section 65

4. In section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv) *for* the words "seventy-five" the words "one hundred fifteen " shall be *substituted*.

Amendment of section 66

5. In section 66 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b) *for* the existing proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely:-

"Provided that the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, in respect of any factory or group or class or description of factories vary the limits laid down in this clause and such variation may authorize the employment of any woman between the hours of 7 p.m. and 6 a.m. mentioning therein the provisions for the safety and facilities of the woman to be given to her."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act, 1948 has been enacted by the Central Government with the object of providing the safety, health, welfare, working hours, overtime, leaves and other aspects of workers employed in factories.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive business atmosphere there has been growing demand for relaxing the provisions relating to overtime, employment of women during night and exempting small industrial units from applicability of the Act. So, after due consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the Factories Act, 1948 in its application to Uttar Pradesh to enhance hours of overtime and to permit the employment of women workers during night under certain conditions.

The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 842 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2615)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 170 सा० विधायी–30–1–2018–(2616)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।